



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AD 981205

यह जिले स्थान पर किसी भी कानूनी काम का उपयोग के लिए निम्न आमतौर पर उपलब्ध है।
जिला कानूनी पत्रादली संख्या 40676
संलग्न है।
मुमुक्षु का नाम: अरविंद

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अन्वयक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्मस सोसाइटीज वथा विटर्स मेरठ।

17-10-10

:- स्मृति पत्र :-

1- संस्था का नाम

किशन एज्युकेशन सोसाइटी,

2- संस्था का पता

किशन एज्युकेशन सोसाइटी,
निकट "अमर उजाला",
पीदल्ली रोड, मेरठ २४०५०।

3- संस्था का कार्य क्षेत्र

समूर्ण भारतवर्ष होगा।

4- संस्था के उद्देश्य

निम्न है :-

१। शिक्षा का प्रचार करना।



२। शिक्षा के लिये स्कूल, कौरिलज एवं विद्यालयों को स्थापना एवं उनका संचालन करना।

विद्यालियों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें राष्ट्र के सुवित अच्छे नागरिक तैयार करना।
राष्ट्र को एकता एवं अखण्डता को भावना पैदा करना।

३। वाचनालय एवं पुस्तकालय आदि को स्थापना एवं उनका संचालन करना।

४। संस्था के सदस्यों के लिये विवाह स्थल एवं कलबों की स्थापना करना।

५। विद्यालियों के रहने व उनके खान-पान एवं रहन-सहन हेतु प्राप्त व्यवस्था करना तथा निराश्रित बच्चों को चिकित्सालय में रहने के लिये निःशुल्क सेवा प्रदान करना।

६। चिकित्सालयों को स्थापना एवं संचालन करना तथा गरोबों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करना।

७। सामाजिक उत्थान को भावना पैदा करना।

८। अन्य समस्त कार्य जो सोसाइटी रोजरेसन स्टेट २४०५० को पारा २० के अन्तर्गत हो उन्हें पूरा करना।

सत्य प्रतिलिपि


Raj Singh

फूमशः पेज-2-









प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटी लघा विल्स, मेरठ।

Shir Pal
17-10-19

5- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है :-

क्रम सं	नाम	पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1-	श्री मनोज पाल सिंह	श्री हरीश पाल सिंह	पीली कोठी, साबुन गोदाम, मेरठ।	पीली कोठी, साबुन गोदाम, मेरठ।	अध्यक्ष कृषि
2-	श्रीमति वीना चौधरी	पत्नि श्री हरीश पाल सिंह	पीली कोठी, साबुन गोदाम, मेरठ।	उपाध्यक्ष	गृहणी
3-	श्री नीरज सिंह	श्री हरीश पाल सिंह	पीली कोठी	सचिव	कृषि
4-	श्री हरीश पाल सिंह	स्व०श्री रघुवर दयाल	पीली कोठी, साबुन गोदाम, मेरठ	कोषाध्यक्ष व्यवसायी	
5-	श्रीमती सुधा सिंह	पत्नी श्री नीरज सिंह	पीली कोठी	उपसचिव	गृहणी
6-	श्रीमती श्रुति सिंह	पत्नी श्री शिवपाल सिंह	सैक्टर 28-डी. मकान नं० 3121, चन्डीगढ़	सदस्या	गृहणी
7-	श्री शिव पाल सिंह	श्री जगपाल सिंह चौधरी	सैक्टर 28-डी. मकान नं० 3121, चन्डीगढ़	सदस्या	संस्कारणी

हम निम्न घोषित करते हैं कि हमने संस्था का गठन किया है। और हम सोसाइटी एक्ट 1860 की ~~धारा 27~~ के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं।

D)  ③  ⑤  ⑦ 
 1)  ④  ⑥ 
 Date = 27- Jan-2001


सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अधिकारी
 कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रर
 कर्मसूल सोसाइटी लखा निवास, मेरठ।

17-10-2010


ՀԱՅ ՊԵՏՈՒ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱ

የኢትዮጵያ
ስምምነት ቤት 0981 ከአዲስ

196-7-57 4421 613
196-7-57

~~1000 PICKLES~~ will be had
at the same time.

(a) 40676(m)



(संशोधित नियमावली)

1. संस्था का नाम : किशन एजूकेशन सोसायटी।
2. संस्था का पता : निकट अमर उजाला दिल्ली रोड, मेरठ उ0प्र0।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।
4. संस्था के उद्देश्य : निम्न हैं :-

1. शिक्षा का प्रचार करना।
2. शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज एवं विद्यालयों की स्थापना एवं उनका संचालन करना।
3. विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें राष्ट्र के प्रति अच्छे नागरिक तैयार करना।
4. राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता की भावना पैदा करना।
5. वाचनालय एवं पुस्तकालय आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
6. संस्था के सदस्यों के लिए विवाह स्थल एवं कलबों की स्थापना करना।
7. विद्यार्थियों के रहने व उनके खान-पान एवं रहन-सहन हेतु पर्याप्त व्यवस्था करना, निराश्रित बच्चों, व्यक्तियों को चिकित्सालय व रहने के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान करना।
8. चिकित्सालयों की स्थापना एवं संचालन करना तथा गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा सेवायें प्रदान करना।
9. सामाजिक उत्थान की भावना पैदा करना।

5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-


(1)- आजीवन सदस्य-

जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त राशि 11000/- अथवा इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दान में देगा। वह संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा।

(2)- विशिष्ट सदस्य-


जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त राशि 5000/- अथवा इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दान में देगा। वह संस्था का विशिष्ट सदस्य माना जायेगा।

Kishan Education Society


Chairman

Secretary

सत्य प्रतिलिपि



प्रधान सहायक / अन्वेषक
विधालय लि. वि. रजिस्ट्रार
फॉर्म सोसाइटीज तथा विट्स, मेरठ।

(3)- साधारण सदस्य-

जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त राशि प्रति वर्ष 250/-रूपये दान देगा।

वह संस्था का साधारण सदस्य माना जायेगा।

4- सदस्यता की समाप्ति :-



1. किसी न्यायालय के दण्डित होने पर।

2. दिवालिया होने पर।

3. 13 वर्ष से कम आयु का होने पर।

4. मृत घोषित होने पर।

5. संस्था के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर।

6. अध्यक्ष तथा सचिव के निर्देश का पालन करने पर।

6. प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. संस्था का प्रबन्ध संचालन करना।
2. संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन करना।
3. आय-व्यय बजट तैयार करना तथा साधारण सभा द्वारा पास करना।
4. अन्य वे समस्त कार्य जो संस्था की उन्नति में सहायक हों।
5. संस्था द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थान, राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय प्रदेश व केन्द्र सरकार से ऋण लेना, अनुदान लेना तथा सहायता प्राप्त करना।
6. बैंक या अन्य संस्था से ऋण लेते समय अपनी सम्पत्ति अथवा लीज, दान प्राप्त सम्पत्ति को मोरगेज करना।

7- साधारण सभा

- साधारण सभा वर्ष में एक बार होगी, तथा आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

8- साधारण सभा का विस्तृत रूप :-

1. गठन :- सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।
2. बैठक :- सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक कभी

For Kishan Education Society

Kishan Education Society

Chairman

Secretary
Bansal

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अन्तर्गत कार्यालय डिप्टी राजस्वार्थ और सोसाइटी तथा विद्युत मेरठ।
17-10-19

3. सूचनायें :- सामान्य बैठक के लिए 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक के लिए सूचना 24 घन्टे पूर्व अध्यक्ष के हस्ताक्षरित पत्र के द्वारा दी जायेगी।
4. गणपूर्ति :- कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग होगी।
5. विशेष वार्षिक :- प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने में हुआ करेगी।

अधिवेषण

- 6- साधारण सभाओं के अधिकार :-
- 1- प्रबन्धकारिणी की चुनाव करना।
 - 2- रिक्त स्थान की पूर्ति करना।
 - 3- नियम विनियमों में परिवर्तन करना।
 - 4- आय-व्यय बजट पास करना।
 - 5- संस्था की उन्नति के लिए कार्य करना।

9. प्रबन्धकारिणी की विस्तृत रूप :-

1- गठन

- 1- अध्यक्ष 2- उपाध्यक्ष 3- सचिव, 4- कोषाध्यक्ष
- 5- उपसचिव, 6- सदस्य

2- बैठक

प्रत्येक 5 वर्ष बाद साधारण सभा द्वारा चुनाव प्रक्रिया द्वारा प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा। साधारण सभा की बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक वर्ष में 6 बार अध्यक्ष के निर्देशों पर बुलाई जा सकती है।

3- सूचना अवधि

सामान्य बैठक के लिए सूचना 15 दिन पूर्व विशेष बैठक के लिए सूचना 24 घन्टे पूर्व अध्यक्ष अथवा सैकेटरी के हस्ताक्षरित पत्र द्वारा स्पेशल मैसेन्जर द्वारा की जायेगी। कुल संख्या 2/3 सदस्यों का होगा। गठन की तिथि से पाँच वर्ष होगा तथा परिस्थितियों में दो वर्ष 6 माह के लिए बदला जा सकता है।

10- प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य :-

1- अध्यक्ष

- 1- समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 2- संस्था के प्रबन्ध संचालन में प्रबन्धकों को सलाह देना।

3- किसी भी बैठक के लिए प्रबन्धकीय सलाह के आधार पर सूचना पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।
4- अन्य व समस्त कार्य जो संस्था को उन्नति सहायक हों।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके अधिकारों का निर्वाह

तथा पालन करना।


For Kishan Education Society

2- उपाध्यक्ष


Kishan Education Society

Chairman

11



Secretary


Saroya

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/उपन्येषक
कार्यालय डिप्टी सीज़र्स्ट्राइक
फार्म सोसाइटीज तथा चिट्ठा, मेरठ
Om
17-10-10

3- सचिव

- 1- संस्था का प्रबन्ध संचालन करना।
- 2- संस्था के संचालन के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति, निकालना आदि।
- 3- संस्था के साथ संयुक्त हस्ताक्षरों से संस्था का कोरम का प्रयोग करना।
- 4- किसी भी कार्यवाही का संचालन करना।
- 5- अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देना।
- 6- संस्था के दान, चन्दा, अनुदान प्राप्त करना तथा रसीद देना।
- 7- अपनी अनुपस्थिति में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना।

4- उपसचिव

- सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के अधिकार एवं कर्तव्यों का निवाह व पालन करना।

5- कोषाध्यक्ष

- 1- संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत राष्ट्रीय बैंक तथा डाकघर में जमा करना।
- 2- सचिव के निर्देशों का पालन करना तथा संस्था के आय-व्यय परीक्षण तथा प्रबन्धक निर्देशों का पालन करना।

11- संस्था का पत्रकोष

संस्था का पत्र कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में कोषाध्यक्ष द्वारा जमा करा जाये तथा सचिव व अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से निकाला जाये।

12- कानूनी कार्यवाही का संचालन -

संस्था के विरुद्ध अथवा संस्था के पक्ष में होने वाली किसी कानूनी कार्यवाही का संचालन प्रबन्ध अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

13- आय-व्यय का लेखा परीक्षण -

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण किसी भी योग्य ऑडिटर अथवा संस्था के ऑडिटर द्वारा कराया जायेगा।

14- आय-व्यय का लेखना रखना व उसकी व्यवस्था करना।

संस्था को कोई भी रिकार्ड सचिव द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा।

15- नियमों में परिवर्तन -

यदि संस्था के नियमों तथा विनियमों तथा स्मृति पत्रों में संशोधन होना है तो वह संशोधन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एकट 1860 की धारा-12 के अन्तर्गत किया जायेगा।

16- संस्था के अभिलेख

1- सदस्यता रजिस्ट्रर

2- कार्यवाही रजिस्ट्रर

3- ऐजेन्डा रजिस्ट्रर

4- कैश बुक

5- स्टाक रजिस्ट्रर

For Kishan Education Society

Secretary

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / असेंट
कार्यालय डिटी रजिस्ट्रर
फर्स सोसाइटी तथा बिट्स मेरठ।

17-10-10

Kishan Education Society

Chairman

M.

Secretary
S. Bhatnagar

17- विधटन

6- अन्य अभिलेख जो संस्था के लिए आवश्यक है।
संस्था का विधटन और संस्था के निस्तारण की कार्यवाही
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत
की जायेगी।


अनुबन्धक-

- 1- विधालय का पंजीकरण सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण किया जायेगा।
- 2- विधालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षां परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विधालयों में विभन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं कि जाएगी यदि पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय का सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौसिल फॉर दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इंजामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परिष्का परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
- 5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विधालय के शिक्षण/शिक्षोणत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा भत्ते प्राप्त वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश जो निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विधालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- उत्तर प्रदेश शिक्षा संहित की धारा-105 से 107 के अन्तर्गत विभिन वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी।
- 10- उक्त शर्तों के बिना राज्य सरकार की पुर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।


दिनांक :-2018

सत्यप्रतिलिपि।

For Kishan Education Society



Chairman

For Kishan Education Society


Secretary
M. Saraswati

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अधिकारी
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फार्म सोसाइटी तथा मिट्टा, मेरठ।


17-10-18



फाईल सं० ५०६७६ (M)

संस्था का नाम किशन कुमार राजनीति संस्कारण
समृद्धि पथ म८८

निवास सं० स११०

प्रवन्ध समिति की सूची वर्ष

आज दिनांक १०-१-२०१४

को सन १८६० के प्राचीन्यान के अन्तर्गत
निवन्धित की गई है।

Dee

निवन्धक

फर्मा रोसाइटीज तथा चिट्ठा
मेरठ मण्डल, मेरठ (उप्र०)